न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 5/2020 धारा 14(4) आवंटन नियम 1970

शमशान सुरक्षा समिति, गोठवाल गौत्र मीना समाज ग्राम नांगल राजावतान जरिये

1. सीताराम पुत्र रामनाथ जाति गोठवाल मीना निवासी नांगल राजावतान जिला दौसा–अध्यक्ष
2. गोपी राम पुत्र पाचूंराम जाति गोठवाल मीना निवासी नांगल राजावतान जिला दौसा–उपाध्यक्ष
3. रामभजन पुत्र मंगलाराम जाति गोठवाल मीना निवासी नांगल राजावतान जिला दौसा–मंत्री
4. रमेश पुत्र रामसहाय जाति गोठवाल मीना निवासी नांगल राजावतान जिला दौसा–सदस्य
5. रेवड पुत्र हटटाराम जाति गोठवाल मीना निवासी नांगल राजावतान जिला दौसा–सदस्य
6. ओमप्रकाश पुत्र महादेव जाति गोठवाल मीना निवासी नांगल राजावतान जिला दौसा–सदस्य
7. रामप्रसाद पुत्र नाथूराम जाति गोठवाल मीना निवासी नांगल राजावतान जिला दौसा–सदस्य
8. जगदीश पुत्र हरलाल जाति गोठवाल मीना निवासी नांगल राजावतान जिला दौसा–सदस्य

...प्रार्थीगण

बनाम

1. गंगाराम पुत्र रापाल जाति मीना गौत्र बरवाल निवासी नांगल राजावतान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान
3. ग्राम पंचायत नांगल राजावतान जरिये ग्राम विकास अधिकारी नांगल राजावतान

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राज0 भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 वास्ते निरस्त करने आवंटन खसरा नंबर 726 रकबा 0.12है. वाके ग्राम नांगल राजावतान जिला दौसा

उपस्थित–1. श्री अविनाश नागर, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री उमेश गौड अप्रार्थी सं0 1 की ओर से
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

<u>निर्णय</u>

दिनांक: 25.05.2023

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16.5.2000 को ग्राम नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान के खसरा नंबर 726 रकबा 0.12है. भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 को कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि ग्राम नांगल राजावतान में स्थित भूमि खसरा नंबर 726 रकबा 0.12है. मीना समाज गोठवाल गौत्र की श्मशान भूमि है जिस पर दीर्घ काल से दाह संस्कार होता आ रहा है। किन्तु दिनांक 27.8.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 ने बताया कि उक्त भूमि को अप्रार्थी ने आवंटित करा ली है और अब इस भूमि पर दाह संस्कार नहीं होने देगा, तथा जमाबंदी मे

.....निरंतर 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:53:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

उसका नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज हो गया है। साथ ही अप्रार्थी सं0 1 ने श्मशान भूमि के पास पत्थर डाल दिये तथा कहा कि वह श्मशान घाट पर कब्जा करेगा। जिस पर आम जनता ने दिनांक 28.8.2020 को थानाधिकारी, पुलिस थाना नांगल राजावतान को प्रार्थना पत्र पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने दलील दी कि माननीय न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि धोखे से कानून विरूद्ध कराये गये ऐसे अवैध आवंटन को किसी भी समय निरस्त फरमा सकते है जिसमें मियाद की कोई पाबंदी नहीं है और कानूनन ऐसे प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन आदेश की नकल लगाना भी आवश्यक नहीं है। भूमि आवंटन योग्य है अथवा नहीं इसकी कोई जांच नहीं की गई है। आवंटन से पूर्व सार्वजनिक नोटिस भी जारी करना आवश्यक होता है, ताकि प्रभावित व्यक्ति अपनी आपत्तियां पेश कर सके। किन्तु ऐसा कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया है जिससे ग्रामवासियों को उक्त आवंटन की जानकारी नहीं हो सकी। उक्त आवंटन मात्र 0.12है. भूमि का किया गया है। जो कृषि के उपयोग में नहीं आती है। श्मशान भूमि का आवंटन कृषि हेतु निषेध है। अप्रार्थी कृषक नहीं होकर भू माफिया है, जिसने अनेक गांवों में काफी मात्रा में भूमि खरीद रखी है व शिक्षण संस्थाएं चला रखी है एवं वादग्रस्त भूमि पर अपनी उन संस्थाओं के भवन बनाने हेतु धोखा देकर गलत आवंटन कराया गया है। ग्राम नांगल राजावतान में मीना समाज के दो गौत्र के लोग है गोठवाल व बारवाल। बारवाल समाज का अप्रार्थी नं0 1 गोठवाल गौत्र के प्रार्थीगण से व्यक्तिगत अदावट रखता है। गोठवाल गौत्र के व्यक्तियों का लगभग 45 वर्ष से इसी श्मशान भूमि पर दाह संस्कार होता आ रहा है। गोठवाल गौत्र के मीना समाज का सार्वजनिक श्मशान होने के कारण ग्राम पंचायत नांगल राजावतान ने पानी की व्यवस्था के लिए बोरवेल खुदाई हेतु 1,20,000/–रू0 स्वीकृत कर दिये गये है। वादग्रस्त भूमि पर मोक्षधाम का बोर्ड भी लगा हुआ है। अप्रार्थी सं. 1 उक्त भूमि पर रातोरात अवैध निर्माण करने पर आमादा है जिसे तत्काल रोका जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) आवटन नियम 1970 स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नंबर 726 रकबा 0.12है. के किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावे तथा जमाबंदी में अप्रार्थी सं0 1 के नाम जो गैर खातेदारी का इन्द्राज किया गया है उसको निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से बहस में दलील दी गई कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 के मध्य माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा में वाद विचाराधीन था, जिसमें दिनांक 10.2.2023 को राजीनामा हो गया है। अप्रार्थी गंगाराम ने स्वेच्छा से अपने अधिकार मीना समाज के गोठवाल गौत्र के श्मशान हेतु दान की भावना से त्याग कर मीना समाज के गोठवाल गौत्र को श्मशान हेतु वादग्रस्त भूमि को दे दी है और यह भूमि मीना समाज के गोठवाल गौत्र का श्मशान रहेगा। उक्त भूमि खसरा नंबर 726 रकबा 0.12है. वाके ग्राम नांगल राजावतान में अप्रार्थी के गैर खातेदारी इन्द्राज को हटाकर मीना समाज के गोठवाल गौत्र को श्मशान की भूमि अंकित किया जावे तदनुसार समस्त राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। गोठवाल गौत्र के लोग श्मशान हेतु किसी प्रकार का कोई टीनशैड या अन्य कोई श्मशान के संबंध में सुविधा लेना चाहे व दाह संस्कार आदि में प्रतिवादी सं0 1 को कोई आपत्ति नहीं होगी। अप्रार्थी सं0 1 ने गोठवाल गौत्र के श्मशान के लिए उक्त भूमि को इस शर्त पर दान दी है कि गोठवाल समाज इस भूमि को श्मशान के अलावा अन्य किसी उपयोग में नहीं लेगा। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 को प्रश्नगत आवंटन को निरस्त किये जाने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:53:47 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.1 के मध्य माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। अतः प्रश्नगत आवंटन निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

जिला कलक्टर, दौसा

......निरंतर 3 पर

प्रा0 पत्र सं0 5/2020 आवंटन नियम 14(4)

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि का आवंटन कब किया गया था यह आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2073–2076 के अनुसार ग्राम नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नंबर 726 रकबा 0.12 है. अप्रार्थी सं0 1 की गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 के मध्य माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा में विचाराधीन वाद में दिनांक 10.2.2023 को राजीनामा इस आशय का हो गया कि अप्रार्थी गंगाराम ने स्वेच्छा से अपने अधिकार मीना समाज के गोठवाल गौत्र के श्मशान हेतु दान की भावना से त्याग कर मीना समाज के गोठवाल गौत्र को श्मशान हेतु वादग्रस्त भूमि को दे दी है और यह भूमि मीना समाज के गोठवाल गौत्र का श्मशान रहेगा। उक्त भूमि खसरा नंबर 726 रकबा 0.12है. वाके ग्राम नांगल राजावतान में अप्रार्थी के गैर खातेदारी इन्द्राज को हटाकर मीना समाज के गोठवाल गौत्र को श्मशान की भूमि अंकित किया जावे। प्रश्नगत भूमि पूर्व से ही श्मशान के काम आ रही है। हम प्रश्नगत भूमि जो कि अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी चली आ रही है का आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। ग्राम नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नंबर 726 रकबा 0.12है. का अप्रार्थी गंगाराम के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 25 मई 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:53:47 IST
Reason: SelfAttested